



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052023-245726
CG-DL-E-05052023-245726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2000]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 2000]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2088(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 921(अ) दिनांक 28.फरवरी 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 752 (D) (पुराना 148 एनजी) (उज्जैन गरोठ खण्ड) के कि.मी. 117.000 से कि.मी.135.900 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08 मार्च 2023 " को "नई दुनिया " और "फ्री प्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 752 (D) (पुराना 148 एनजी) (उज्जैन गरोठ खण्ड) के कि.मी. 117.000 से कि.मी. 135.900 तक लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: मन्दसौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गरोठ				
	गांव का नाम: बर्डिया अमरा				
1	1099/2/1	निजी	सिंचित	0.03	कन्हैयालाल पिता भागीरथ (1099/2/1)
2	1099/2/3	निजी	सिंचित	0.005	सज्जन बाई बेवा भागीरथ कन्हैयालाल, दिपक पिता भागीरथ (1099/2/3)
3	356/7	निजी	सिंचित	0.036	कन्हैयालाल पिता भागीरथ (356/7)
	गांव का नाम: गुराडिया माता				
4	520/2/1	निजी	सिंचित	0.14	रामकन्याबाई पति भागीरथ (520/2/1)
5	521/1	निजी	सिंचित	0.21	रामकन्याबाई पति भागीरथ (521/1)
6	522/1/1/1	निजी	सिंचित	0.02	सौदानसिंह पिता रतन सिंह (522/1/1/1)
7	525/1/1	निजी	सिंचित	0.005	बसंतीलाल पिता शंकरलाल (525/1/1)
8	526/2/1	निजी	सिंचित	0.06	गोपालसिंह पिता भंवरसिंह (526/2/1)
9	527/1/1	निजी	सिंचित	0.21	दशरथसिंह पिता वजेशिंह (527/1/1)
	तालुक का नाम: शामगढ़				
	गांव का नाम: चांदखेड़ी				
1	19/1/1	निजी	सिंचित	0.21	सम्पतबाई बेवा देवीसिंह, कालि बाई, बालक बाई पिता देवि सिंह (19/1/1)
2	20/1	निजी	सिंचित	0.2	राजेंद्र पिता मथुरालाल पाटीदार (20/1)

3	20/2	निजी	सिंचित	0.07	भगवानलाल प्रह्लाद पिता भेरुलाल (20/2)
4	21/1	निजी	सिंचित	0.008	राजेंद्र पिता मथुरालाल (21/1)
5	21/2	निजी	सिंचित	0.004	नाथुलाल पिता रामलाल (21/2)
6	23	सरकारी	असिंचित	0.15	मध्यप्रदेश शासन (शासकीय) (23/1)
7	24	सरकारी	असिंचित	0.07	मध्यप्रदेश शासन (शासकीय) (24)
गांव का नाम: ढाबलागुर्जर					
8	1/1	सरकारी	असिंचित	0.06	मध्यप्रदेश शासन (शासकीय) (1/1)
9	12/1	निजी	सिंचित	0.055	रमेशचन्द्र रामचन्द्र देवीलाल उंकारलाल पिता शंकरलाल कलावतीबाई बैवा मनोहरलाल मंजुबाई लीला बाई पिता मनोहरलाल (12/1)
10	13/1	निजी	सिंचित	0.115	रमेशचन्द्र रामचन्द्र देवीलाल उंकारलाल पिता शंकरलाल कलावतीबाई बैवा मनोहरलाल मंजुबाई लीला बाई पिता मनोहरलाल (13/1)
11	14/1	निजी	सिंचित	0.125	नाथू लाल पिता रामलाल (14/1)
12	15/1	निजी	सिंचित	0.17	रमेशचन्द्र रामचन्द्र देवीलाल उंकारलाल पिता शंकरलाल कलावतीबाई बैवा मनोहरलाल मंजुबाई लीला बाई पिता मनोहरलाल (15/1)
13	16	निजी	सिंचित	0.48	भुवानीराम पिता हीरालाल (16)
14	17/1	निजी	सिंचित	0.02	हीरालाल पिता कंवरलाल (17/1)
15	18/1	निजी	सिंचित	0.38	रमेशचन्द्र रामचन्द्र देवीलाल उंकारलाल पिता शंकरलाल कलावतीबाई बैवा मनोहरलाल मंजुबाई लीला बाई पिता मनोहरलाल (18/1)
16	19	निजी	सिंचित	0.25	सत्यनारायण पिता कंवरलाल (19)
17	20	निजी	सिंचित	0.025	नाथुलाल पिता रामलाल (20)
18	39/3	निजी	सिंचित	0.02	फतेसिंह पिता भेरूसिंह (39/3)
19	39/4/1	निजी	सिंचित	0.1	मोहनबाई_बैवा कालूसिंह पर्वतसिंह विक्रमसिंह बालूसिंह संगीताबाई पिता

					कालूसिंह (39/4/1)
20	49/1	निजी	सिंचित	0.14	भुवानीराम पिता हीरालाल (49/1)
21	50/1	निजी	सिंचित	0.01	गिरधारी रामनारायण गोपीलाल पिता कवरलाल श्यामलाल भगवतीलाल पिता नन्दराम कन्चनबाई बेवा नन्दराम (50/1)
22	51/1	निजी	सिंचित	0.005	हरिसिंह पिता रामलाल (51/1)
			कुल	3.3830	

[फा. सं. : NHAI\PIU\Ujjain\LA Notification\2019\3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2088(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O No. 921 (E) dated 28 February 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH752D (Old 148 NG) on the stretch of land from Km 117.00 to Km 135.90 (Ujjain Garoth Section) (Greenfield Alignment) in the district of Mandsaur in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Nai Duniya” and “Free Press” both dated 08 March 2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH752D (Old 148 NG) in the stretch of land from Km 117.00 to Km 135.90 (Ujjain Garoth Section) (Greenfield Alignment) in the district of Mandsaur in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: Mandsaur		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Garoth					
Village: Bardiya Amra					
1	1099/2/1	Private	Irrigated	0.03	Kanhaiyalal S/o Bhagirath 1099/2/1

2	1099/2/3	Private	Irrigated	0.005	Sajjan Bai Bewa Bhagirath Kanhaiyalal, S/o Deepak Bhagirath 1099/2/3
3	356/7	Private	Irrigated	0.036	Kanhaiyalal S/o Bhagirath 356/7
Village: Guradiya Mata					
4	520/2/1	Private	Irrigated	0.14	Ramkanyabai W/o Bhagirath 520/2/1
5	521/1	Private	Irrigated	0.21	Ramkanyabai W/o Bhagirath 521/1
6	522/1/1/1	Private	Irrigated	0.02	Soudan Singh S/o Ratan Singh 522/1/1/1
7	525/1/1	Private	Irrigated	0.005	Basantilal S/o Shankarlal 525/1/1
8	526/2/1	Private	Irrigated	0.06	Gopal Singh S/o Bhanwar Singh 526/2/1
9	527/1/1	Private	Irrigated	0.21	Dasaratha Singh S/o Vaje Singh 527/1/1
Taluk: Shamgarh					
Village: Chandkhedi					
1	19/1/1	Private	Irrigated	0.21	Sampatbai W/o Devisingh, Kalibai, Balak bai D/o Devi Singh 19/1/1
2	20/1	Private	Irrigated	0.2	Rajendra S/o Mathuralal Patidar 20/1
3	20/2	Private	Irrigated	0.07	Bhagwanlal Prahlad S/o Bherulal 20/2
4	21/1	Private	Irrigated	0.008	Rajendra S/o Mathuralal 21/1
5	21/2	Private	Irrigated	0.004	Nathulal S/o Ramlal 21/2
6	23	Government	Un Irrigated	0.15	MP Government 23/1
7	24	Government	Un Irrigated	0.07	MP Government 24
Village: Dhablagujar					
8	1/1	Government	Un Irrigated	0.06	MP Government 1/1
9	12/1	Private	Irrigated	0.055	Rameshchand Ramchandra Devilal Unkarlal S/o Shankarlal, Kalavatibai Widow Manoharlal, Manjubai Leela Bai S/o Manoharlal Caste Mali Nivasi village 12/1
10	13/1	Private	Irrigated	0.115	Rameshchand Ramchandra Devilal Unkarlal S/o Shankarlal, Kalavatibai Widow Manoharlal, Manjubai Leela Bai S/o Manoharlal 13/1
11	14/1	Private	Irrigated	0.125	Nathu Lal S/o Ramlal 14/1
12	15/1	Private	Irrigated	0.17	Rameshchand Ramchandra Devilal

					Unkarlal S/o Shankarlal, Kalavatibai Widow Manoharlal, Manjubai Leela Bai S/o Manoharlal 15/1
13	16	Private	Irrigated	0.48	Bhuvaniram S/o Hiralal 16
14	17/1	Private	Irrigated	0.02	Hiralal S/o Kanwarlal 17/1
15	18/1	Private	Irrigated	0.38	Rameshchand Ramchandra Devilal Unkarlal S/o Shankarlal, Kalavatibai Widow Manoharlal, Manjubai Leela Bai S/o Manoharlal 18/1
16	19	Private	Irrigated	0.25	Satyanarayan S/o Kavarlal 19
17	20	Private	Irrigated	0.025	Nathulal S/o Ramlal 20
18	39/3	Private	Irrigated	0.02	Fatesingh S/o Bherusingh 39/3
19	39/4/1	Private	Irrigated	0.1	Mohanbai Widow Kalusinh Parvatsinh Vikramsingh Balusinh Sangeetabai D/o Kalusinh 39/4/1
20	49/1	Private	Irrigated	0.14	Bhuvaniram S/o Hiralal 49/1
21	50/1	Private	Irrigated	0.01	Girdhari Ramnarayan Gopilal S/o Kavarlal Shyamlal Bhagwatilal S/o Nandram Kanchanbai Widow Nandram 50/1
22	51/1	Private	Irrigated	0.005	Harish S/o Ramlal 51/1
			TOTAL	3.383	

[F. No. : NHAI\PIU\Ujjain\LA Notification\2019\3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.